[2019] 1 एस० सी० आर० 145

मॉन्सैंटो टेक्नोलॉजी एल. एल. सी.

अधिकृत प्रतिनिधि एम. एस. नतालिया

वोरुज और अन्य

नुज़ीवेदु सीड्स लिमिटेड द्वारा

निदेशक और अन्य ;

(सिविल अपील सं। 4616, 4617, 2018 का)

जनवरी 08 - 2019

[आर.एफ. नरीमन और नवीन सिन्हा न्यायमूर्तिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

एस 9 - मुकदमा/जवाबी दावा निर्णय प्रक्रिया प्रतिवादियों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करने वाला मुकदमा, प्रतिबंध उन्हें पंजीकृत पेटेंट का उल्लंघन करते हुए अपने पंजीकृत ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने के लिए भी दायर करके अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई ।

आवेदन यू/या। 39 आरआर। 1 और सी पी सी के 2 प्रतिवादियों ने लिखित बयान के साथ साथ पेटेंट को रद्द करने के लिए अपना जवाबी दावा दायर किया। पेटेंट अधिनियम की धारा 64 उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेते हुए कहा कि प्रकृति और विस्तार मुकदमे और जवाबी दावे में दावों पर कानून के अनुसार वैध विचार और बिना सबूत के संक्षिप्त निर्णय नहीं अमूर्त विचार द्वारा सी. पी. सी उस तरीके के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है जिसमें एक मुकदमा यू/एस 9 , काउंटर क्लेम सहित विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए उच्च न्यायालय की खंड पीठ को एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को हड़पने के संक्षिप्त तरीके से काउंटर क्लेम की जांच नहीं करनी चाहिए थी। तकनीकी रूप से जटिल मुकदमे का संक्षिप्त निर्णय जिसमें विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होती है वह भी अंतरिम निषेधाज्ञा के स्तर पर, न तो था वांछनीय और न ही अनुज्ञेय खंड पीठ को अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश की वैधता की जांच तक ही सीमित रहना चाहिए था - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निषेधाज्ञा राहत की प्रकृति क्रम में थी और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थी। मामला एकल न्यायाधीश.पेटेंट अधिनियम 1970 के पास भेज दिया गया। 3 (जे) और 64। अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय ने आयोजित 1. पेटेंट अधिनियम की धारा 64 एक मुकदमे में जवाबी दावे के आधार पर पेटेंट को रद्द करने का प्रावधान करती है। यह आवश्यक रूप से दावों पर एक वैध विचार की आवश्यकता है मुकदमा और जवाबी दावा कानून के अनुसार और संक्षिप्त निर्णय के बिना अमूर्त विचार द्वारा साक्ष्य के बिना 23 , [158 . डी.ई] 2. उच्च न्यायालय की खंड पीठ को केवल सार्वजनिक डोमेन से निकाले गए दस्तावेजों पर भरोसा करके संक्षिप्त तरीके से मुकदमे का निपटारा नहीं करना चाहिए था, और मुकदमे में प्रदर्शन के रूप में भी दायर नहीं किया जाना चाहिए था, विशेषज्ञ गवाहों की बहुत कम परीक्षा, वर्तमान मामले के तथ्यों में उठाए गए मुद्दे जटिल थे जिनके लिए रासायनिक प्रक्रिया जैव रासायनिक जैव तकनीकी और सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के मुद्दों के संबंध में तकनीकी और विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या एक बार घुसने के बाद न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम विशेषता को उस

किस्म से हटाया जा सकता है या नहीं और क्या पेटेंट किए गए डीएनए अनुक्रम को हटाया जा सकता है।

एक संयंत्र था या एक संयंत्र का एक हिस्सा आदि फिर से सभी मामले हैं जिन पर मुकदमे की अंतिम सुनवाई में विचार किया जाना आवश्यक था। [पैरा 23][158 एफ.एच]

3. डिवीजन बेंच को जांच नहीं करनी चाहिए थी जटिल वाद जिसके लिए विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होती है, निषेधाज्ञा के चरण के लिए किए गए तरीके से निश्चित रूप से न तो वांछनीय था और न ही कानून में अनुमेय था। मुकदमे में पेटेंट योग्यता के संबंध में कानून और तथ्यों के जटिल मिश्रित प्रश्न शामिल थे और पेटेंट का बहिष्करण जिसकी साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में जांच की जा सकती है। [पैरा 22] [158.ए.सी]

4. डिवीजन बेंच को खुद को सीमित करना चाहिए था। केवल एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश की वैधता की जांच मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई निषेधाज्ञा राहत की प्रकृति क्रम में थी और मुकदमे के लंबित रहने के दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एकल न्यायाधीश दिनांक 28.03.2017 के आदेश को बहाल कर दिया जाता है और मुकदमे को कानून के अनुसार निपटारे के लिए एकल न्यायाधीश को भेज दिया जाता है। [पारस 25,26] [159.जी160.ए]

उच्च न्यायालय के 11.04.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2017 के एफ 0 ए 0 ओ 0 (ओ 0 एस 0) (सी0 0 एम 0 एम 0) संख्या 86 और 2017 के एफ 0 ए 0 ओ 0, (ओ 0 एस 0 सी0 ओ 0 एम 0 एम 0) नम्बर 76 में नई दिल्ली में

के साथ

सिविल अपील सं। 188 , 189,190 और 2019 का 191-192

डॉ० ए० एम० सिंघवी, नीरज किशन कौल, कपिल सिब्बल, संजीव सेन,अरविंद पी० दाता, केवी विश्वनाथन, श्याम दीवान, जयंत भूषण, कृष्णन वेणुगोपाल, राणा मुखर्जी, श्याम दीवान, एन, के० कौल, एक सीनियर अधिवक्ता, प्रवीण आनंद, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, सुश्री अर्चना शंकर, ध्रुव आनंद, श्रवण चोपड़ा, करण लूथरा,विष्णु तल्लाप्रगडा, शुभम कुलशेखर, आदर्श रामानुजन, आर० वी० प्रभात, वैभव मित्तल, सुश्री उदिता पात्रो, सुश्री श्रुति अरोड़ा, डॉ० नीति विल्सन, अजीम सैमुअल, अविष्कार सिंघवी, सुश्री गीतिका सूरी, ई० सी०अग्रवाल,प्रवीण आनंद, आर० एन० करंजावाला, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, सुश्री दीप्ति सरीन, संजीत रंजन, सुश्री अर्चना शंकर, ध्रुव आनंद, श्रवण चोपड़ा, श्रीमती माणिक करंजावाला मेसर्स करंजावाला एण्ड कंपनी, सुश्री स्विकृति सिंघानिया, सायन रे, सुश्री अनिंदिता मित्रा,सौमो पालित, चैतन्य मेहता, सुश्री दीया कपूर, एसेनीज़ ओभान, अभिषेक साकेत, सुश्री नेहा खंडूरी,ऋषभ शर्मा, सुश्री सुगंधा बत्रा,राघव आनंद, सुश्री वृंदा भंडारी, फ़िरोज अली, केतन पॉल, सुश्री रीजा वर्गीज़, तुषार भूषण, रंजन कुमार पांडे, संदीप बिष्ट, सुश्री लिज़ मैथ्यू, जितेंद्र कुमार, राम कृष्ण, आदित्य धार,अनुज तिवारी, राहुल कुमार, ऋत्विक सहाय, आदित्य शर्मा, प्रणीत प्रणव, सुश्री अंकिता चौधरी राठी, संतोष कुमार, नचिकेता जोशी, गुंजन सिंह, सत्य मित्रा, अमर दवे, पी० एस ० सुधीर,ऋषि माहेश्वरी, सुश्री ऐनी मैथ्यूए, सुश्री पूजा कटारा, सुश्री अपर्णा करीर, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी,सुश्री मृणाल कंवर, सत्य विक्रम, अभिषेक साकेत, सुश्री शहाना फराह,मनीष मधुकर, राहुल दुबे, एम० हक, चित्राल गंभीर, प्रणव गुप्ता, सुश्री लेखा वी० जी०, सुश्री मनीषा सिंह, अभय पांडे, देवांशु सजलान, सन्यात लोढ़ा,दीपक जोशी, आकाश लांबा,अधिवक्ता। उपस्थित पक्षो के लिए।

न्यायालय का निर्णय

नवीन सिन्हा, न्यायमूर्ति द्वारा पारित किया गया ।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. 2018 की सिविल अपील संख्या 4616-4617 में अपीलकर्ता / वादी एफ ० ने पंजीकृत पेटेन्ट संख्या का उल्लंघन करते हुए स्थायी ट्रेडमार्क " बोलगार्ड "और " बोलगार्ड II " ब्रांड कपास प्रौद्योगिक का उपयोग करने पर प्रतिवादियो के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए 2016 का सिविल सूट (कॉम) नं० 132 स्थापित किया । 214436 वादियों का,और प्रतिवादियों के खाते का पंजीकृत पेटेंट का उल्लंघन करते हुए, पेटेंट तकनीक वाले बीज/ शंकर बीजो को बेचने और उपयोग करने से रोकने के लिए भी । सुविधा के लिए, पक्षकारों को मूल वाद में उनकी स्थिति से संदर्भित किया जाएगा।

3. वादी ने अपने पेटेंट अधिकारों के अनुसार दस साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिवादियों के दिनांक 21.02.2004 को एक उपलाइसेन्स समझौता किया था । समझौते में प्रतिवादियो को वादी की तकनीक की मदद से आनुवंशिक रूप से संशोधित संकर कपास रोपण बीज विकसित करने और समझौते में निर्धारित सीमाओं के अधीन उसी विषय में व्यावसायिक रूप से दोहन करने का अधिकार दिया। समझौते में वादी की पेटेंट तकनीक के उपयोग के लिए प्रतिवादियों द्वारा लाइसेंस शुल्क/ विशेषता मूल्य के भुगतान का भी प्रावधान था। राज्य द्वारा बाद में शुरू की गई मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के मद्देनजर लाइसेंस शुल्क/ ट्रेन्ट का मूल्य के भुगतान के संबंधित विवादों के कारण विस्तार के बाद समझौते को अंततः 14.11.2015 को वादी द्वारा समाप्त कर दिया गया था और जिसके लिए प्रतिवादियों को वादी द्वारा पालन की आवश्यकता थी। वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39, नियम 1 और 2 (इसके बाद ' संहिता ' के रूप में संदर्भित) के तहत निषेधाज्ञा के लिए के लिए एक आवेदन दायर किया गया ताकि प्रतिवादियो को पंजीकृत पेटेंट के उल्लंघन में अपने पंजीकृत व्यापार चिह्न का उपयोग करने से रोका जा सके । समझौता की समाप्ती की मद्देनजर मुकदमे का लंबित होना

4. प्रतिवादियो ने अपने लिखित बयान में अन्य बातो के साथ साथ तर्क दिया कि उनके अधिकार पौधो के किस्मो और किसानो के अधिकार संरक्षण 2001 (पी०पी०वी०एफ० आर० अधिनियम के रुप में संदर्भित) के तहत संरक्षित थे। सूट पेटेंट खराब था क्योकि दावे 1-24 अनुवांशिक इंजीनियरिंग या जैव प्रौधोगिकी विधि से संबंधित " न्यूक्लि एसिड अनुक्रम " (एन ए एस) को पौधे की कोशिका में डालने के लिए " प्रक्रिया के दावे ″ थे, जैसा की दावा 25-27 में प्रयोगशाला स्थितियो में अभ्यास किया गया था,प्रतिवादियो द्वारा अपनायी गयी पूरी जैविक प्रक्रिया के विपरीत। एन०एस०एन० 1 रासायिक संरचना थी जो स्वंय को पुनः उत्पन्न करने में असमर्थ थी और इस प्रकार यह एक सूक्ष्म जीव नही था। केवल एक पौधे,एक जीवित जीव में डालने पर या जीवित जीव को बीटी० विशेषता (कीट प्रतिरोध) प्रदान करता है । प्रतिवादियो ने पौधो के संबंध में पेटेंट अधिनियम (इसके बाद अधिनियम के रुप में संदर्भित) की धारा 3 का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 64 की तहत पेटेंट को रद्द करने की मांग करते हुए 2016 का एक प्रतिदावा संख्या 51 भी दायर किया । ऐसे बीज जिनमे डी एन ए अनुक्रम शामिल है किसी भी उलंघन से इन्कार करते है ।

5. 28.03.2017 को विद्वान एकल न्यायाधीश ने निषेधाज्ञा के लिए वादी के आवेदन पर निर्णय लेते हुए कहा कि मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दों के लिए आवश्यक रूप से औपचारिक प्रमाण,विशेष रूप से विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है, जो पेटेंट जैसे जटिल मामलों में चौड़ाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थे। पेटेंट दावे की विशिष्टताओ द्वारा प्रदान किया गया

एकाधिकार। पेटेंट दावे की प्रकृति एवं सीमा अधिक थी।दलीले पूरी होने और उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर साक्ष्य प्रस्तुत के बाद उचित मामले की जांच की जानी चाहिए। जो अंतरिम निषेधाज्ञा के चरण में टिप्पणियों के योग्य नहीं थे। मौजूदा पेटेंट पर विचार करना अधिनियम की धारा 48 के तहत पंजीकृत, यह आदेश दिया गया था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पक्ष उप-लाइसेंस समझौते के तहत अपने-अपने दायित्वों से बंधे रहेंगे और प्रतिवादी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क/विशेषता मूल्य लागू कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक साथ 2016 के प्रतिदावा संख्या 51 पर केवल नोटिस जारी किया । निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 28.03.2017 इसलिए प्रतिदावे पर विचार या निपटारा नही किया गया । यह प्राइमा प्रथम दृष्टया यह देखा गया कि प्रतिवादियों को 2004 से उप-लाइसेंस का लाभ होने के कारण, यह तर्क देने में अन्यायपूर्ण प्रतीत हुआ कि वे दावा किए गए वैधानिक संरक्षणों के साथ-साथ वाद पेटेंट या पंजीकृत ट्रेडमार्क को देखते हुए समझौते के तहत दायित्वों से बाध्य नहीं थे। प्रथम दृष्टया यह मत व्यक्त करते हुए कि वादी द्वारा 14.11.2015 पर उप-लाइसेंस समझौते की समाप्ति वैधानिक मूल्य प्रतिबंधों को देखते हुए अनुचित प्रतीत होती है, समाप्ति का कोई परिणाम नहीं माना गया ।

6. पीड़ित, वादी और प्रतिवादी दोनों ने अपील को प्राथमिकता दी। डिवीजन बेंच ने अधिनियम की धारा 3 के तहत पेटेंट बहिष्कार के संबंध में प्रतिवादियों के तर्क को बरकरार रखते हुए वादी की अपील को खारिज कर दिया और कहा कि वादी पीपीवीएफआर अधिनियम के तहत पंजीकरण का दावा करने के लिए स्वतंत्र थे। क्योंकि दोनों अधिनियम पूरक नहीं थे। लेकिन क्षति और अन्य राहतों के लिए दावे के संबंध में मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी गयी थी। वादी को कानून के अनुसार प्रतिवादियो द्वारा लाइसेन्स शुल्क/ विशेषता मूल्य के भुगतान सहित उप- लाइसेन्स समझौते के तहत दायित्वो के साथ जारी रखना आवश्यक था।

7. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ० अभिषेक मनु सिंघवी,श्री कपिल सिब्बल,श्री नीरज कौल, श्री के वी, विश्वनाथन, श्री अरविंद पी दाता, श्री जयंत भूषण, श्री कृष्णन वेणुगोपाल, श्री श्याम दीवान और श्री संजीव सेन और विद्वान अधिवक्ता श्री प्रशांत भूषण और सुश्री आनंदिता मित्रा को सुना है।

8. डॉ० अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि वादी का मुकदमा मौजूदा और वैध पेटेंट के उल्लंघन को रोकने वाले निषेधाज्ञा के लिए था। मुकदमे में पेटेंट की कमी कभी भी एक मुद्दा नहीं था। प्रतिवादी केवल उलंघन से संबंधित मुद्दे को अमान्य करने के लिए पेटेंट योग्यता की कमी का तर्क दिया गया । पेटेंट अप्राप्य के रुप मे रद्द करने के प्रतिदावे पर विद्वान एकल द्वारा ना तो बहस किया गया और ना ही निर्णय सुनाया गया । २०१६ के काउंटर क्लेम के नम्बर ५१ पर केवल नोटिस जारी किया गया था। , जबकि उप लाइसेन्ट समझौते की समाप्ति को चुनौती देने वाले २०१६ के काउंटर क्लेम नं० ५० को वापस ले लिया गया था । पेटेंट के अस्तित्व का मुद्दा, अधिनियम की धारा ३ (जे०) के तहत पेटेंट बहिष्करण कानुन और तथ्यो का भारी मिश्रित प्रश्न था । जिसके लिए औपचारिक प्रमाण और विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता होती है ,जिस पर मुकदमे की सुनवाई में विचार करना चाहिए, जैसा कि सही ढंग से देखा गया है । एकल न्यायाधीश प्रतिवादियो ने अपील के अपने ज्ञापन में स्वंय तर्क दिया कि पेटेंट के अस्तित्व और इसके निरासरण से संबंधित मुद्दे को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा संक्षेप में तय नही किया जा सकता था क्योकि ये ऐसे मामले थे जिनके लिए साक्ष्य की आवश्यता थी और केवल अंतिम परीक्षण में ही फैसला सुनाया जा सकता था। वादी के दावे केवल २५-२७ के अंतर्गत थे। प्रक्रिया का दावा १-२४कभी भी एकल न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन मुद्दा नही था और फिर भी डिवीजन बैंक में इस पर गहराई से विचार किया और प्रक्रिया के दावो को भी खराब

माना।

9. वादी ने इसके पेटेंट की वैधता के संबंध में संक्षिप्त निर्णय के लिए कभी सहमति नहीं दी थी। डिवीजन बेंच द्वारा निर्दिष्ट सहमति केवल यह तय करने के लिए दी गई थी कि वादी के पेटेंट का उल्लंघन किया गया था या नहीं, साथ ही पेटेंट का दायरा भी, ताकि निषेधाज्ञा की राहत की अनुमति दी जा सके या नहीं। यह समझ से परे है कि अधिनियम के तहत एक वैध पंजीकृत पेटेंट रखने वाले वादी फिर भी एक संक्षिप्त विचार और सत्यापन/अमान्य करने के लिए सहमत हुए होंगे। पेटेंट में दावे में 25-27 में एक डी एन ए निर्माण या न्यक्लियोटाइड शामिल है जिसमें तीन अलग अलग घटक शामिल है, जो कि (I) एक प्रमोटर (II)Cry2Ab 5-एंडोटॉक्सिन के उत्पादन के लिए एक मानव निर्मित जीन और (III) एक पारगमन पेप्टाइड 6 के उत्पादन के लिए एक तीसरा घटक। इस प्रकार बनाया गया डीएनए निर्माण प्रकृति में मौजुद नही था और पोधे में डालने पर कीट सहिष्णु गुण प्रदान करता है। एक पौधे को अगली बार फ्यूजन प्रोटीन के रुप में उत्पादित किया जाता है। जिसमें ट्रान्जिट पेपटाइड के साथ बंधा हुआ (II)Cry2Ab 5-एंडोटॉक्सिन 7 शामिल होता है । विषय पेटेंट में बेसिलस थुरिंगियेंसिस स्ट्रेन के उपयोग और क्राई 2 एए और क्राई 2 एबी नामित दो जीनों के विकास का दावा किया गया है। प्रत्येक जीन अनुक्रम कीटनाशक गुणों के साथ प्रोटीन को संश्लेषित करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। एन०ए०एस० एक जीवित जीव नहीं बल्कि एक प्रयोगशाला में बनाया गया रसायन है। घटना जो एक पादप कोशिका के जो की पौधे की कोशिका के जीनो में एक अद्वितीय स्थान पर एन० ए० एस०की स्थिति है। एक अलग , बाद का और पूरी तरह से अलग आविष्कार जिसके लिए वादी ने एक अलग पेटेंट नम्बर प्राप्त किया । 232681 और वर्तमान वाद का विषय नही है । इस मामले में अविष्कार एन ए एस है और अविष्कार का लक्ष्य पौधे कोशिका में इसका उपयोग है । एन ए एस की सम्पत्ति वही है जो पौधा की कोशिका में एक विशिष्ट स्थान पर विष प्रोटीन का उत्पादन और स्थानीयकरण करती है ताकि पूरे पौधे में मौजुद विष प्रोटीन को कीटनाशक प्रभावी स्तरों पर बनाया जा सके और फिर भी कृषि विज्ञान की दृष्टि से स्थिर पौधे का उत्पादन किया जा सके। **गुओयू एट अल द्वारा मार्कर असिस्टेड रीकरण बैंक क्रोसिंग इन क्लटीवेर** डेवलपमेंट पर भरोसा करते हुए इसे एक एन ए एस जीन प्रस्तुत किया गया था। जिसे एक बार पौधे में डाला गया था और हटाने योग्य था और पेटेंट योग्य विशेषताओं को खोने के लिए पौधे जीनोम का हिस्सा नही बना। ये विशेष साक्ष्य के आधार सी पर मुकदमे में विचार किये जाने वाले मामले थे।

10. प्रतिवादी के लिए श्री विश्वनाथ और श्री दातार ने यह तर्क देते हुए प्रत्यक्ष और पारस्परिक रूप से विरोधाभासी रुख अपनाया है कि दावे 25-27 उत्पाद के दावे हैं, अर्थात् एक पौधे के हिस्से, और बाद में यह कि उक्त दावे अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रिया के दावे हैं। दावे 1-डी 24 को धारा 3 (जे) के तहत अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाओ के तहत बाहर नही रखा गया है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण मानव हस्तक्षेप मौजूद है। डॉ० सिंघवी बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया कि वह उप-लाइसेंस समझौते की समाप्ति का समर्थन करने की स्थिति में नहीं था और लाइसेंस शुल्क/विशेषता मूल्य के लिए वादी के दावे वैधानिक या मूल्य व्यवस्था के अनुसार होने चाहिए। वादी की पेटेंट तकनीक के बीज इसी तरह के अन्य बीजों की तुलना में सबसे अधिक बिकने वाले थे। वादी का पेटेंट के उल्लंघन के लिए किसी भी भारतीय किसान पर मुकदमा करने का कोई इरादा नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि या तो यह न्यायालय पेटेंट मुद्दे और उल्लंघन के निर्णय के लिए पूरे मामले को रिमांड पर ले सकता है या पेटेंट मुद्दे पर फैसला कर सकता है और फिर अन्य मुद्दों के लिए मुकदमे को रिमांड पर ले सकता है।

11. श्री कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि एक रासायन/ जीन /डीएनए निर्माण एक पौधे की किस्म नहीं है, और पी० पी०

वी०एफ० आर० अधिनियम के तहत सुरक्षा के लिए पात्र नहीं है। एक जीन एक पौधे की किस्म नहीं हो सकती है । और धारा 14 और 15 के साथ पठित धारा 2 (जेडए) में पूर्ववर्ती शर्तो की पूर्ति की कमी के कारण इसे इस तरह के पंजीकरण से वंचित कर दिया जाएगा । एक जीन एक और पादप समूह नहीं हो सकता है,सबसे नीचली श्रेणी के एकल वनस्पति वर्गीकरण के भीतर जिसका सरल शब्दों में अर्थ है कि यह एक पौधे की निम्नतम श्रेणी अर्थात् एक प्रजाति से संबंधित नहीं हो सकता है। पीपीवीएफआर अधिनियम लागू हुआ 2007 से और पिछले 11 वर्षों में इसके तहत कोई उल्लंघन कार्रवाई दर्ज नहीं की गई है या निषेधाज्ञा प्राप्त नही की गयी है । जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कृषि. -जैव प्रौद्योगिकी इस देश में अरबों से अधिक लोगों को भोजन खिलाने में और जैविक और अजैविक तनावों से निपटने, उत्पादकता और पोषण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए " नोबेल जीन" की भूमिका निभानी है।

12. श्री नीरज कौल ने प्रस्तुत किया कि पेटेंट प्राप्त एन० ए० एस० किसी भी जैविक प्रक्रिया का निर्माण नहीं है। प्रवर्तक का सही मिश्रण Cry2Ab एंडोटॉक्सिन के उत्पादन के लिए मानव निर्मित जीन और तीसरा डी एन० ए० निर्माण की ओर ले जाने वाले पारगमन पेप्टाइड के उत्पादन के लिए तीन घटक पूरी तरह से मानव हस्तक्षेप का निर्माण है। प्रभाग बेंच ने गलत तरीके से आविष्कार को पौधे की किस्म माना है। यह केवल पौधों की किस्में और बीज हैं जो पी० पी०वी०एफ० आर० अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पेटेंट अधिनियम और पी० पी०वी०एफ० आर० अधिनियम पारस्परिक रूप से विशेष हैं।

13. प्रतिवादियों की ओर से दलीलों का नेतृत्व करते हुए श्री विश्वनाथन ने कहा कि प्रतिवादियों द्वारा पारंपरिक प्रजनन विधियों के माध्यम से विकसित किए जा रहे और किसानों को बेचे जा रहे आनुवंशिक रूप से संशोधित कपास रोपण बीजों के संबंध में किसी भी पेटेंट अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यदि वादी के पेटेंट अधिकारों को स्वीकार कर लिया जाता है,तो आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों के संबंध में पादप बौद्धिक संपदा के लिए पीपीवीएफआर अधिनियम के तहत प्रदान की गई व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो जाएगी। वादी का दावा अनिवार्य रूप से एक किस्म विकसित करने के लिए एक प्रजनक का था और इसलिए एनएएस युक्त इसका दाता बीज पीपीवीएफआर अधिनियम के तहत पंजीकृत था और वे इस तरह के पंजीकरण के बाद धारा 26 के तहत लाभ साझा करने के हकदार थे। किसी संयंत्र में कोई पेटेंट नही दिया जा सकता है। पेटेंट उल्लंघन विश्लेषण में दो चरण शामिल हैंः दावा किए गए दावों का उचित निर्माण और इस बात का निर्धारण कि क्या उत्पाद दावा किए गए दावे का उल्लंघन करता है जैसा कि ठीक से समझा गया है। वादी का दावा है कि पेटेंट कभी भी शीशी में रासायनिक अनुक्रम के लिए नहीं था। वादी का दावा किया गया आविष्कार केवल पूर्व कला पर एक सुधार था जहां उसने दावा किया था कि उसने पौधो की प्लास्टिड में स्थानीयकृत करके एंडोटोक्सिन प्रोटीन की उच्च स्तर की अभिव्यक्ति का उत्पादन करने का तरीका ढुंढ लिया है । जिससे कीट सहिष्णुता कम होती है और साथ ही साथ रूपात्मक रूप से सामान्य पौधों का उत्पादन होता है। वादी को आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी पर अधिकारों का दावा करने से भी रोक दिया गया था। अभियोजन इतिहास एस्टोपेल के आधार पर कपास के बीज डिवीजन बेंच का आदेश सहमति पर आधारित होना, अब वादी पक्ष के लिए इसके विपरीत प्रतिवाद करना उचित नही ।

14. श्री दातार ने प्रस्तुत किया कि एनएएस के लिए दावे 25-27 में" उत्पाद" एक रसायन है जो गलत है, क्योंकि कोई भी रसायन जो किसी में डाला जाता है । एक पौधा उस पौधे के बीजों और भविष्य की संतानों तक प्रसारित होने में सक्षम नहीं है क्योंकि रसायन पौधे द्वारा ही चयापचय किया जाएगा और कभी भी उसके बीजों में संचारित नहीं होगा। इसके अलावा ,

एनएएस, स्वयं 25-27 दावों के शब्दों से एक पादप जीन है जो पौधे का एक अंतर्निहित आंतरिक और अभिन्न अंग है क्योंकि यह उप कोशिकीय स्तर पर मौजूद है। ऊतक संवर्धन की जैविक प्रक्रिया के माध्यम से जीन के साथ परिवर्तन के बाद कोशिका एक ट्रांसजेनिक पौधे में परिणत होती है जो इन ट्रांसजेनिक की आवश्यक विशेषता वाले बीज का उत्पादन करता है इसलिए 25 से 27 का दावा करता है भले ही यह केवल एक जीन का प्रतिनिधित्व करता हो, यह एक पौधे के अविभाज्य और विरासत में मिलने वाले हिस्से के रूप में प्रकट होगा और इसका पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। पौधे में डाला गया एन० ए०एस०जीन एक अपवर्तनीय जैविक प्रक्रिया द्वारा उप.-कोशिकीय स्तर पर पौधे का भी अविभाज्य भाग बन जाता है । यह रुपांतरित पौधे की प्रत्येक कोशिका में विद्यमान है । यह ना केवल पौधे मे एंडोटोक्सिन उत्पन्न करने के लिए अभिव्यक्त होता है बल्कि संतान पौधो को हमेशा के लिए विरासत में भी देता है । इसके परिणाण कोई उत्पाद नही है जिसे एक सी सी में डाला जा सके और बेचा जा सके । दावो का अर्थ इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि उनमे में प्रत्येक को एक प्रभावी अर्थ दिया जा सकता लेकिन विशिष्टताओ और दावो को एक साथ समझा जाना चाहिए।

15.श्री जयंत भूषण ने प्रस्तुत किया कि वादी एनएएस को एक सीसी में नही लाये और बल्कि एनएएस युक्त प्लान बीजो का आयात किया गया । ये बीज पेटेंट द्वारा संरक्षित नही थे। भारतीय बीज कंपनियो का दावा बीज लिये गये जिनमें पहले से ही एनएएस /बीटी था । गुण उनमें विशेषता एकीकृत थी और अंकुरण में सक्षम थी। भारतीय बीज कंपनियाँ जो करती हैं, वह यह है कि भारत में खेती के लिए उपयुक्त अपनी स्वामित्व वाली भारतीय किस्मों के पौधों के साथ वादी के पौधों में से एक को पार करना, तीसरी नई संकर-नस्ल कपास किस्म विकसित करना जिसमें बीटी होगी। वादी की विविधता से विशेषता ताकि बोलवर्म और उनकी अपनी विकसित किस्मों के अन्य लक्षणों का विरोध किया जा सके। चूँकि भारतीय बीज कंपनियाँ पृथक रूप से एन० ए०एस० का उपयोग नहीं करती हैं और न ही वे पेटेंट में वर्णित विधि के माध्यम से संयंत्र में एन०ए० एस० को पेश करने की विधि का उपयोग करती हैं, इसलिए पेटेंट का कोई उल्लंघन नहीं है। एनएएस अनिवार्य रूप से एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें पेटेंट उत्पाद का न तो अलग से उपयोग किया जाता है और न ही संयंत्र में डालने की पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है,भारतीय बीज कंपनियों द्वारा एनएएस का निर्माण या उपयोग नहीं किया जा रहा है। टेस्ट ट्यूब में एक जीन अनुक्रम पर पेटेंट पी० पी० वी० एफ० आर० अधिनियम की धारा 30 और 39 के तहत महत्वपूर्ण शोधकर्ताओं और किसानों के अधिकारों को अस्वीकार नहीं कर सकता है। धारा 39 किसान के अधिकारों से संबंधित है जो उसे अधिनियम के तहत संरक्षित पंजीकृत किस्म सहित अपनी कृषि उपज को बचाने, उपयोग करने, बोने और फिर से बोने का अधिकार देता है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया कि यदि न्यायालय डिवीजन बेंच इस मामले को निषेधाज्ञा मामले पर नई सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच को भेज सकती है क्योंकि दिनांक २८.०३.२०१७ के निषेधाज्ञा आदेश की सत्याता का कभी परीक्षण या विचार नहीं किया गया था।

16. श्री दीवान ने प्रस्तुत किया कि वादी के पेटेंट दावे में कोई आविष्कारशील कदम नहीं है,जब तक कि कृत्रिम एनएएस को एक संयंत्र में नहीं डाला जाता है। कि पौधा डेल्टा एंडोटॉक्सिन का उत्पादन शुरू कर देता है जो बोलवर्म के लिए विषाक्त है। एनएएस के औद्योगिक अनुप्रयोग की कोई क्षमता नहीं है सिवाय एक संयंत्र का हिस्सा बनने और एक ट्रांसजेनिक संयंत्र विकसित करने के पेटेंट अधिनियम के संदर्भ में एक आविष्कार की सीमा आवश्यकताएं प्रत्यारोपण चरण तक गायब हैं। आविष्कारशील गुण तब शुरू होते हैं जब एनएएस को पादप कोशिका में डाला जाता है न कि उस चरण से पहले। एक बार जब एनएएस को संयंत्र कक्ष में डाला जाता है, तो धारा 3 (जे) के तहत पीपीवीएफआर अधिनियम लागू हो जाता है।

17. श्री वेणुगोपाल ने प्रस्तुत किया कि खंड का एक संयुक्त पठन 2 (जे) और अधिनियम की धारा 3 (सी) यह स्पष्ट करती है कि इसमें ट्रांसजेनिक पौधों पुनर्संयोजक जीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से आविष्कार किए गए दोनों की पेटेंट योग्यता शामिल नहीं है। प्रयोगशाला में पुनः और पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से आविष्कार किए गए तकनीकें भले ही एक नया पौधाए विविधता या प्रजाति शुरू में आनुवंशिक हेरफेर के माध्यम से बनाई जाती है, इस हद तक कि पौधे, विविधता या प्रजातियों का बाद में उत्पादन या प्रसार अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रिय के माध्यम से किया जाता है,जैविक प्रक्रिया अधिनियम की धारा 3 (जे) के तहत पेटेंट योग्य नहीं होगी। भले ही धारा 3 (जे) के तहत पेटेंट बहिष्कार लागू नहीं था, फिर भी पेटेंट दावा कभी भी वादी को किसानों को बी० टी० वाले कपास संयंत्र के पौधों या बीजों को बनाने, उपयोग करने,बिक्री के लिए पेश करने या बेचने से रोकने के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं दे सकता था। जीन। एक कृत्रिम जीन का पेटेंट और इसे पौधे के जीनोम में डालने की प्रक्रियाए धारा के तहत अधिकारों के प्रयोग का हकदार नहीं होगी। 48 एक पौधे के संबंध में अधिनियम जिसमें कृत्रिम जीन होता है जिस पर इसका पेटेंट होता है। अधिनियम की धारा 48 के तहत संरक्षण का उपयोग अन्य जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ किया जा सकता है जो बीटी को दोहराना चाहती हैं। जीन उत्पाद या कपास के पौधे के जीनोम में उस जीन को डालने की प्रक्रिया। पेटेंट अधिनियम और पीपीवीएफआर दोनों अधिनियम की एक कड़ी है जो किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए है ताकि वे बीजों की अत्यधिक दरों से बोझिल न हों।

18. श्री प्रशांत भूषण, श्री संजीव सेन और श्रीमती आनंदिता मित्रा हस्तक्षेप करने वालों की ओर से ने कहा कि एन० ए० एस० औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम नहीं है जब तक कि यह संयंत्र प्रकोष्ठ का हिस्सा नहीं बन जाता है यह पादप कोशिका द्वारा अनिवार्य रूप से जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। वांछित प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए प्रतिलेखन,अनुवाद और प्रतिकृति अनिवार्य रुप से जैवित प्रक्रिया के माध्यम से पादप कोशिका द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैव विविधता अधिनियम जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए भारत में पाए जाने वाले किसी भी जैविक संसाधन के उपयोग को प्रतिबंधित करता है और जिसमें आनुवंशिक हस्तक्षेप के माध्यम से फसलों और पशुधन में सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले जीन शामिल हैं, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमति की आवश्यकता है जो वादी द्वारा नहीं ली गई है। एनएएस केवल एक पौधे में एक विशेषता जोड़ता है जिससे दाता बीज बनाने वाली एक ट्रांसजेनिक किस्म का विकास होता है। बीज अधिनियम की धारा 3 (जे) के तहत पेटेंट योग्य नहीं हैं, हालांकि वादी पी० पी० वी० एफ० आर० अधिनियम की धारा 2 (एच), के तहत परिभाषित पी० वी० एफ० आर० अधिनियम के प्रावधान के तहत लाभ साझा करने के हकदार हो सकते हैं। वादी के दावे के निहितार्थ तत्काल पक्षों से परे हैं।

19. हमने पक्षों की ओर से की गई संबंधित दलीलों पर विचार किया है। हालाँकि बहुत विस्तृत प्रस्तुतियाँ की गई हैं। विचाराधीन पेटेंट में शामिल तथ्यों और तकनीकी प्रक्रियाओं के संबंध में, अधिनियम के प्रावधानए पीपीवीएफआर अधिनियम और पेटेंट के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में मामले कानून विश्व व्यापार संगठन (ड्बलू .टी .ओ) के तहत दायित्व शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (जी० ए० टी० टी०) बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार.संबंधित पहलू (टी० आर०आई० पी० एस०) समझौत जिसके परिणामस्वरूप आई० डी 1 पर पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 , 25.06.2002 लागू हुआ पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को देखते हुए हम इस स्तर पर इससे निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं, और उचित कार्यवाही में विचार के लिए तथ्यों और कानून के सभी प्रश्नों को खुला छोड़ देते हैं।

20. पेटेंट दावे 1-24 प्रक्रियाओं के संबंध में हैं जबकि दावा 25-27 एनएएस नामक रासायनिक उत्पाद के संबंध में हैं। वादियों के अनुसार बाद वाला मानव निर्मित डी०एन० ए० निर्माण था जो प्रकृति में मौजूद नहीं था और अन्यथा प्रकृति में मौजूद पौधे का हिस्सा नहीं था। डी० एन० ए० संरचना को एक पौधे में डाला गया था जो पौधे को कीट सहिष्णुता की विशेषता प्रदान करता है। इसमें तीन अलग.-अलग घटक होते हैं अर्थात 1. एक प्रवर्तक, 2. एक उत्पादन के लिए एक जीन Cry2Ab 5 एंडोटॉक्सिन के उत्पादन के लिए एक जीन और 3. पारगमन पेप्टाइड के उत्पादन के लिए एक तीसरा घटक। इन तीनों में से Cry2Ab 5 एंडोटॉक्सिन को मानव निर्मित जीन कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम को फिर एक विशेष स्थान पर पौधे की कोशिका में डाला जाता है जिसके परिणामस्वरूप एक संलयन प्रोटीन का उत्पादन होता है जिसमें पारगमन पेप्टाइड के साथ बंधे Cry2Ab 5 एंडोटॉक्सिन 7 शामिल होते हैं। एक संलयन प्रोटीन का उत्पादन इस संबंध में महत्वपूर्ण है। पौधों में प्रभावी होने वाली प्रौद्योगिकी के लिए। बेसिलस थुरिंगियेंसिस स्ट्रेन इस तरह के संलयन प्रोटीन का उत्पादन नहीं करता है। यह वादी का दावा है कि यह केवल उसकी तकनीक है जो एक कपास संयंत्र को पेटेंट किए गए आविष्कारों के दावों 25-27 के अनुसार Cry2Ab 5 एंडोटॉक्सिन द्वारा संरक्षित का उत्पादन करने की अनुमति देती है। विषय पेटेंट में बैसिलस थुरिंगियेंसिस स्ट्रेन के उपयोग और Cry2Aa और Cry2Ab नामित दो जीनों के विकास का दावा किया गया है। प्रत्येक जीन अनुक्रम प्रोटीन को संश्लेषित करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। कीटनाशक गुण।

21. यह प्रतिवादियों का तर्क है कि वादी के दावे की पेटेंट न होने के अलावा उन्होंने पेटेंट अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है, यदि कोई हो तो:-

(क) नुजिवीडू ने ट्रांसजेनिक बीटी के साथ-साथ अपनी स्वामित्व वाली कपास किस्मों के बीज बोए। कपास का बीज। पुष्पण अवस्था।

(ख) ट्रान्सजेनिक कोटन बीज और नुजिवीडू की कपास किस्मों के बीज से अलग अलग पौधे प्राप्त हुए। जिनका क्रोस परागण किया गया पुष्पण अवस्था में ।

(ग) नुजिवीडू कोटन किस्मो के कपास के फल कपास के बीजो से बने होते है जो मालिकाना हाइब्रिड बीटी संकरण कपास से बने होते ।

(घ) नुजिवीडु ने नव विकसित बीटी के व्यापक कृषि संबंधी मूल्यांकन परीक्षण किए। कपास संकर अपनी उपयोगिता का पता लगाने के लिए किसानों को।

(ड़)नुजिवीडू ने प्रत्येक नए बीटी कोटन हाइब्रिड की वाणिज्यिक विमोचन के लिए पर्यावरण ; संरक्षणद्ध अधिनियम 1986 के तहत जी० ई०ए० सी० की मंजूरी प्राप्त की। कपास संकर जिन पर विचार किया गया था आंतरिक मूल्यांकन के बाद संतोषजनक और उसके बाद प्रस्तुत किया गया बड़े पैमाने पर और किसानों को वितरित किया गया।

22. स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों के जवाबी दावे पर विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा कभी विचार नहीं किया गया था क्योंकि केवल उसी पर नोटिस जारी किया गया था। वादी ने लाइसेंस शुल्क/विशेषता मूल्य के मुद्दे के संबंध में निषेधाज्ञा राहत की प्रकृति के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी थी, जिसे अब वादी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हम डॉ० सिंघवी के इस कथन को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि यह तर्क पर आधारित है कि वादी ने ऐसा क्यों किया होगा। एक मौजूदा पेटेंट के संक्षिप्त निर्णय के लिए सहमति दी और बिना किसी योग्यता निर्णय के उसे खोने का जोखिम। प्रतिवादी स्वयं अपनी अपील

में तर्क दिया था कि मुद्दे जटिल थे जिनकी आवश्यकता थी पूर्ण परीक्षण में विशेषज्ञ साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। इसलिए खंड पीठ को अपना निर्णय इस प्रश्न तक ही सीमित रखना चाहिए था क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निषेधाज्ञा देना उचित या अनुचित था। डिवीजन बेंच को जवाबी दावे की जांच नहीं करनी चाहिए थी, जो एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को हड़पने के दावा 1-24 सारांश किया गया तकनीकी रूप पूरा होने वाले सरांश निर्णय के लिए विशेष साक्ष्य की आवश्यता होती है साथ ही निषेधाज्ञा के चरण में किए गए तरीके से, निश्चित रूप से कानून में न तो वांछनीय था और न ही अनुमेय था। मुकदमे में पेटेंट योग्यता और पेटेंट के बहिष्कार के संबंध में कानून और तथ्यों के जटिल मिश्रित प्रश्न शामिल थे, जिनकी साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में जांच की जा सकती थी।

23.अधिनियम की धारा 64 एक मुकदमे में जवाबी दावे के आधार पर पेटेंट को रद्द करने का प्रावधान करती है। यह अनिवार्य रूप से एक वैध मानता है मुकदमे में दावों और जवाबी दावे पर कानून के अनुसार विचार करना और सार द्वारा साक्ष्य के बिना संक्षिप्त निर्णय नहीं लेना। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विचार। सिविल प्रक्रिया संहिता उस तरीके के संबंध में एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करती है जिसमें धारा 9 के तहत स्थापित एक वाद जिसमें एक जवाबी दावा भी शामिल है,पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। संहिता मुद्दों के निपटारे, पक्षकारों द्वारा गवाहों की परीक्षा और प्रतिपरीक्षा द्वारा एक प्रक्रिया को अनिवार्य करती है,जिसमें दस्तावेजों की खोज/निरीक्षण शामिल है, जो मुकदमे और डिक्री की सुनवाई में समाप्त होता है। प्रारंभिक चरण में किसी मुकदमे का निपटारा केवल आदेश 12 नियम 6 के तहत स्वीकार किए जाने पर या जब पक्ष आदेश 16 नियम 1 और उसमें उल्लिखित अन्य आधारों के तहत जारी नहीं होते हैं, जिनमें से कोई भी यहां लागू नहीं होता है, तो किया जा सकता है। इसलिए हम संतुष्ट हैं कि खंड पीठ को केवल सार्वजनिक क्षेत्र से निकाले गए दस्तावेजों पर भरोसा करके संक्षिप्त तरीके से मुकदमे का निपटारा नहीं करना चाहिए था, और मुकदमे में प्रदर्श के रूप में भी दायर नहीं किया जाना चाहिए था, वर्तमान मामले के तथ्यों में विशेषज्ञ गवाहों की परीक्षा से बहुत कम। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि उठाए गए मुद्दे जटिल थे जिनके लिए रासायनिक प्रक्रिया जैव रासायनिक जैव तकनीकी और सूक्ष्म जैविक प्रक्रियाओं के मुद्दों के संबंध में तकनीकी और विशेषज्ञ साक्ष्य की आवश्यकता थी और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या एक बार डालने के बाद न्यूक्लिक एसिड अनुक्रम विशेषता को उस किस्म से हटाया जा सकता है या नहीं और क्या पेटेंट किया गया डीएनए अनुक्रम एक पौधा था या पौधे का एक हिस्सा आदि फिर से वे सभी मामले हैं जिन पर मुकदमे की अंतिम सुनवाई में विचार किया जाना आवश्यक था।

24. गुप्ता बनाम नरेंद्र कुमार गुप्ता , 2010 10 एस० सी० सी० 141 में निम्नताओं को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से धारा 9 के तहत स्थापित मुकदमे से निपटने और निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस पर विचार किया जाना चाहिएः

“ 27 सिविल प्रक्रिया संहिता और कुछ नहीं बल्कि न्यायालय में कार्यवाही के संदर्भ में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक विस्तृत संकलन-सह गणना है। संहिता का पूरा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उचित चरणों में उचित अवसरों के साथ एक न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाए। संहिता द्वारा शासित दीवानी कार्यवाही को कानून और इसके प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाना और तय करना होगा। संहिता और अदालत की सनक पर नहीं। मुकदमों के मुकदमे में कोई कमी नहीं हैए जब तक कि वे कानून द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। दीवानी मुकदमे का निर्णय मुद्दों को तैयार करने और पक्षकारों को मुद्दों पर साक्ष्य देने की अनुमति देने के बाद किया जाता है, सिवाय उन मामलों के जहां संहिता या कोई अन्य

कानून अपवाद बनाता है या कोई प्रावधान करता है।

.....

30 लेकिन जहां मुद्दों के निपटारे के लिए समन जारी किए गए हैं, और एक प्रारंभिक मुद्दे पर विचार करने के लिए एक मुकदमा सूचीबद्ध किया गया है, अदालत वादी के कथित आचरण, दावे की स्थिरता, ताकत और वैधता और दस्तावेजों की सामग्री की बिना मुकदमे के घूमती हुई जांच नहीं कर सकती है और उस आधार पर एक मुकदमे को खारिज कर सकती है। केवल दलीलों और बिना मुकदमे के पेश किए गए दस्तावेजों पर तथ्य के मुद्दों पर निर्णय करके खत्म नही किया जा सकता है ।

31 इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश ने तथ्य के प्रश्नों का निर्णय और निर्णय दिया है और प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण किए गए साक्ष्य के बिना निर्णय दिया है....."

25. डिवीजन बेंच को स्वयं को विद्वान एकल द्वारा दिए गए निषेधाज्ञा के आदेश की वैध ता की जांच तक सीमित रखना चाहिए था। लेकिन हम मामले को उस उद्देश्य के लिए खंड पीठ के पास वापस भेजने के लिए इच्छुक नहीं हैं क्योंकि हम तथ्यों और परिस्थितियों में संतुष्ट हैं जैसे कि एकल ई द्वारा दी गई निषेधाज्ञा राहत की प्रकृति क्रम में थी और मामले के लंबित रहने के दौरान कोई हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं है।

26. डिवीजन बेंच के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है एकल न्यायाधीश आदेश दिनांक 28.03.2017 को बहाल किया जाता है और मुकदमे को कानून के अनुसार निपटारे के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश को भेज दिया जाता है। संबंधित प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि पक्षकार मुकदमे के शीघ्र निपटारे में विद्वान एकल न्यायाधीश को सहयोग और सुविधा प्रदान करेंगे।

27. अपीलों और हस्तक्षेप आवेदनों का निपटारा कर दिया गया है

अपील निष्पादित

सत्याभामा कुमारी